आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा– रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–53, प्लॉट सं0– 117/H रकबा 1.85 ए0 पर श्रीमति शकुन्तला देवी पति बलराम महतों के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 207/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–रहेया, थाना सं0–345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–53, प्लॉट सं0– 117/H रकबा 1.85 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति शकुन्तला देवी पति बलराम महतों के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा–रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 71/I पर दर्ज होकर वर्ष 2003–12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं0 133/2016–17 से बाहर किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई...समाप्त...की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 133/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 53, प्लॉट सं० 117/H कुल रकबा- 1.85 ए० पर श्रीमती शकुंतला देवी पति बलराम महतो के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, ~~जिससे पता चलता है कि~~ अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 207/02-03 के अन्तर्गत 11/07/03 को मौजा-रहेया थाना नं० 345 के अन्तर्गत खाता सं०-53 प्लॉट सं० 117/H रकबा- 1.85 ए० की बंदोबस्ती श्रीमती शकुन्तला देवी पति- बलराम महतो के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- रहेया के भाग पंजी-II के पेज नं० 71/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2003-12 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का -III

RSI + CI

अं० अमीन
12/12/2024

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.17 12:14:56 +05:30
Location: 192.168.190.97